न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 64/2021 – निगरानी

नरेन्द्र सिंह बापना पुत्र भैरू सिंह बापना निवासी बिगोद हाल मुकाम ए–209, शास्त्रीनगर भीलवाड़ा

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बिगोद कार्यालय ग्राम पंचायत बिगोद पंचायत समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. अभय सिंह बापना पुत्र भैरू सिंह बापना निवासी रावण का चोक, बीगोद तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम निरस्त कराने पट्टा दिनांक 13.02.2013 ग्राम पंचायत बिगोद

उपस्थित –

1. श्री जगदीश चन्द्र विजयवर्गीय अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.11.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बीगोद तहसील माण्डलगढ़ में दशहरा मैदान में स्थित भूखण्ड का पट्टा निगराकार के पक्ष में जारी किया हुआ होने के बावजूद विपक्षी संख्या 02 को दिनांक 13.02.2013 को पुश्तैनी पट्टा जारी किया वह विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य हैं। विपक्षी संख्या 01 द्वारा पूर्व में इस भूखण्ड को निगराकार को दिनांक 02.07.2002 को पत्रावली संख्या 65ए/2000 के अन्दर बनाकर दिया हुआ है और दुबारा इसी भूखण्ड का पट्टा विपक्षी संख्या 02 के नाम पर जारी कर दिया जो नियमों के विपरित जारी किया है। ग्राम पंचायत बिगोद द्वारा विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में जो कार्यवाही की गई व एक ही दिन में सम्पन्न कर पट्टा जारी कर दिया। किसी प्रकार की आपत्तिया आमन्त्रित नहीं की

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

कर दिया। किसी प्रकार की आपत्तिया आमन्त्रित नहीं की। इस भूखण्ड पर निगराकार कब्जा संयुक्त रूप से चला आ रहा था। विपक्षी संख्या 01 ने नियमों की अवहेलना की है, पट्टा बिना रकम लिये दिनांक 13.02.2013 को जारी कर दिया। एक पट्टे पर दूसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। निवेदन है कि निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 13.02.2013 दोहरा पट्टा जारी किया हुआ होने से अपास्त किये जाने का आदेश निगराकार के पक्ष में जारी फरमाये जाने की कृपा करावें।

गैर निगराकार संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रश्नगत जायदाद का पट्टा ग्राम पंचायत बीगोद द्वारा विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में दिनांक 13/02/2013 को जारी किया हुआ है इससे पूर्व कभी कोई किसी प्रकार से निगराकार अथवा अन्य किसी के पक्ष में जारी किया हुआ नहीं है। निगराकार को विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टे की जानकारी सदैव से रही है। फिर भी इतने लम्बे समय बाद यह निगरानी प्रस्तुत करना ही निगराकार की विपक्षी संख्या 02 से दुर्भावना व वैमनस्यता को जाहिर करता है। निगराकार एवं विपक्षी संख्या 02 के मध्य सम्पत्ति विवाद चल रहा हैं, जिसके चलते निगराकार ने एक नियमित वाद विपक्षी संख्या 02 के विरुद्ध माननीय सिविल न्यायाधीश पश्चिम भीलवाड़ा के न्यायालय में संस्थित किया हैं। जिसके प्रकरण संख्या 129/2021 ई.दी. एवं 103/2021 मु. दी बनवान नरेन्द्र बनाम अभय दर्ज हो जैर कार्यवाही है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा नियमानुसार पट्टा विलेख जारी कर पंजीयन करवाया गया है। उक्त वाद निगराकार के तथाकथित पारिवारीक समझौता पत्र दिनांक 26.11.2002 को आधार बनाते हुये प्रस्तुत किया। तथाकथित पारिवारीक समझौता पत्र दिनांकित 26.11.2002 के अनुसार भी हस्तगत जायदाद विपक्षी संख्या 02 के स्वामित्व व आधिपत्य की है जिसे स्वयं निगराकार द्वारा भी स्वीकार किया गया है। प्रश्नगत जायदाद का विपक्षी संख्या 02 द्वारा किये गये आवेदन पर विपक्षी ग्राम पंचायत ने नियमानुसार कार्यवाही करते हुये आपत्तियाँ आमन्त्रित कर, मौके व कब्जे की सम्पूर्ण जाँच–पड़ताल करने उपरान्त जारी कर पंजीयन करवाया है, जिसे निगराकार कोई किसी प्रकार से निरस्त

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

कराने का कानूनन अधिकारी नहीं है। निगराकार ने निगरानी मेमों में कथन अंकित किया हैं कि उक्त प्रश्नगत पटटा पूर्व में दिनांक 02.07.2002 को निगराकार के नाम जारी किया हुआ हैं, तो निगराकार द्वारा उस मूल पटटे को न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिये, जबकि निगराकार ने स्वयं का पटटा पेश करने में असमर्थता प्रकट की हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने निगरानी मेमों में प्रश्नगत पटटा वाले आवासीय भूखण्ड को स्वयं पुश्तैनी आवासीय मकान होकर, स्वयं का कब्जा होना बताया हैं, जबकि इस बाबत् निगराकार ने कोई पुष्ट साक्ष्य व दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नही किये हैं, जिससे जाहिर हो सके कि प्रश्नगत पटटा कभी निगराकार को जारी हुआ हो तथा पटटे वाले भू भाग पर निगराकार का कब्जा हो। निगराकार ने स्वयं के नाम पर जारी पटटा दिनांक 02.07.2002 का मूल पटटा भी पेश नही किया, जिससे जाहिर हो सके कि उक्त प्रश्नगत भूमि पर पूर्व से पटटा जारी हो चुका हैं। न ही इस पूर्व पटटे बाबत् कोई मिसल पत्रावली की प्रति निगराकार द्वारा पेश की गयी हैं।

प्रकरण में गैर निगराकार संख्या 02 ने दौराने बहस बताया कि निगराकार ने एक नियमित वाद विपक्षी संख्या 02 के विरुद्ध माननीय सिविल न्यायाधीश पश्चिम भीलवाड़ा के न्यायालय में संस्थित किया हैं। जिसके प्रकरण संख्या 129/2021 ई.दी. एवं 103/2021 मु. दी बनवान नरेन्द्र बनाम अभय दर्ज हो जैर कार्यवाही है। जबकि उक्त वाद पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 26.11.2002 को आधार बनाते हुये प्रस्तुत किया हैं। इस बाबत् निगराकार ने कोई खण्डन नहीं किया हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाडा के जांच प्रतिवेदन दिनांक 12.09.2022 अनुसार " भूमि विक्रय पत्रावली संख्या 65ए/2000 दिनांक 22.09.2000 से पटटा दिनांक 02.07.2002 जारी किया गया, जिससे संबंधित कोई रिकार्ड व अन्य दस्तावेज ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। ग्राम

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

पंचायत द्वारा नरेन्द्र सिंह बापना के नाम दिनांक 02.07.2002 को जारी पटटे पर पटटा बुक एवं पटटा कमांक अंकित नही हैं जो संदिग्ध है। मौके पर उक्त भूखण्ड के भवन पर अभय सिंह बापना काबिज होकर उपयोग में लिया जा रहा हैं। नरेन्द्र सिंह बापना का उक्त भूखण्ड /भवन पर कब्जा/आधिपत्य नहीं हैं।" इस प्रकार पंचायत समिति माण्डलगढ के जांच प्रतिवेदन में भी निगराकार के तथाकथित पटटा दिनांक 02.07.2002 को संदिग्ध माना जाकर कब्जा गैर निगराकार संख्या 02 का माना गया हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार ने निगरानी मेमों में यह कथन अंकित किया है कि उक्त प्रश्नगत पटटा ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में इसी भूखण्ड का पटटा निगराकार को दिनांक 02.07.2002 को जारी किया हुआ हैं एवं ग्राम पंचायत ने पुनः उसी भूखण्ड पर दिनांक 13.02.2013 को विपक्षी संख्या 02 को पटटा जारी कर दिया हैं। जबकि निगराकार ने स्वयं के नाम पर जारी पटटा दिनांक 02.07.2002 का मूल पटटा अथवा पटटे की प्रमाणित प्रति दौराने बहस तक भी पेश करने में असमर्थता प्रकट की हैं। पंचायत समिति माण्डलगढ की जांच प्रतिवेदन दिनांक 12.09.2022 से भी स्पष्ट होता हैं कि, निगराकार द्वारा स्वयं कथित पटटा दिनांक 02.07.2002 को जारी पटटे पर पटटा बुक एवं पटटा कमांक ही अंकित नहीं हैं एवं इससे संबंधित कोई रिकार्ड व अन्य दस्तावेज ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। जिससे निगराकार का तथाकथित पटटा दिनांक 02.07.2002 संदिग्ध माना गया हैं। अतः निगराकार की निगरानी सारहीन, तथ्यहीन एवं आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत बीगोद पंचायत समिति माण्डलगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश मोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा